NAME	PLACE	DATE
Nafa Nuksan	Jaipur	26-07-2021

बीएसएल लिमिटेड

सीआईएनः L24302RJ1970PLC002266
पंजीकृत कार्यालयः 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधीनगर, भीलवाड़ा – 311 001, (राजस्थान)
फोनः +91–1482–249101–102, 245000
ईमेलः accounts@bslsuitings.com; वेबसाइटः www.bslltd.com

PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

कम्पनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाता में हस्तांतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम 2016") यथा समय यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है। आईईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्षों से लाभांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।

नियमों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत् 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2013–14 से लाभांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

कम्पनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लाभांश का दावा गत् 7 (सात) वर्षों से गैर–दावाकृत को शीघ्र लाभांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कम्पनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् **www.bslltd.com** इन्वेस्टर्स अनुभाग के अन्दर लिंक पर **https://www.bslltd.com/dividend-report.html** अपलोड कर दिया है।

तदनुसार, सम्बद्ध अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु गैर–दावाकृत लाभांश **26 अक्टूबर, 2021** को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा तथा **25 नवम्बर, 2021** अथवा उसके पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि कम्पनी/ रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमों का पालन करने की दृष्टि से ऐसे अंशों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी।

भौतिक तौर पर अंशों के संघटक अंशधारक कृपया ध्यान दें कि कम्पनी डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र(त्रों) को जारी करेगी और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए डिपॉजिटरी को इन्हें डीमैटेरियलाइज करने हेतु सूचित करेगी। डीमैट तौर पर संघटित समता अंशों को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) की मदद से सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैर–दावाकृत लाभांश और समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लाभों सहित, यदि हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
(यूनिटः बीएसएल लिमिटेड)
एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेज –1, नई दिल्ली–110020
फोन नंबरः 011–41406149–52, फैक्स नंबरः 011–41709881
ईमेल आईडीः helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

कृते **बीएसएल लिमिटेड**

आँचल पाटनी
कम्पनी सचिव
एसीएस - 43134

दिनांक : 23 जुलाई, 2021
स्थानः भीलवाड़ा (राजस्थान)